

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 629 / 2005
संस्थान दिनांक 28.10.2005

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रू द्ध

पूष्पेन्द्र पिता रमेशचन्द्र, आयु 30 वर्ष
निवासी- बस स्टेण्ड, अंजड़ म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 30.12.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 235 / 2005 अंतर्गत सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 4 (क) में दिनांक 28.10.2005 को प्रस्तुत अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 24.10.2005 को समय 18:15 बजे बस स्टेण्ड अंजड़ में लोगों से अंकों के आधार पर हारजीत का दांव लगाते हुए कल्याण वर्ली का सट्टा लगाते/खाते हुए पाये जाने के संबंध में सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 की धारा 4 (क) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्त को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 24.10.2005 को निरीक्षक डी.व्ही. एस. चौहान को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त पूष्पेन्द्र बंसल उसकी दुकान के सामने ओटले पर सट्टा लिख कर लोगों से रुपये-पैसे से हार-जीत का दाव लगाकर सट्टा लिख रहा है। सूचना पर विश्वास कर हमराही फोर्स लेकर अंजड़ वाहन मारुति वेन क्रमांक एम.पी. 09 एच. 9222 मय वाहन चालक संजय के बस स्टेण्ड अंजड़ पहुँचे एवं पंच महेन्द्र को तलब कर दोनों पंचों को व मय फोर्स को मुखबिर की सूचना से अवगत

कराया कि अभियुक्त पूष्पेन्द्र बंसल रुपये-पैसे दाब पर लगाकर सट्टा अपनी दुकान के सामने ओटले पर खा रहा है। पंचों के समक्ष प्रदर्शपी 3 का पंचनामा पंटर 50 रुपये का नोट क्रमांक 3AM998085 आरक्षक पंटररी असद को सादा वर्दी में देकर दाब पर लगाने हेतु भेजा गया तथा आरक्षक ने पूष्पेन्द्र को सट्टा लिखाया व सिर पर हाथ रखकर ईशारा किया, निरीक्षक चौहान ने मय फोर्स के दबिश दी तथा उससे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पूष्पेन्द्र पिता रमेशचन्द्र बंसल निवासी अंजड़ का बताया था सट्टा लिखते हुए पकड़ा गया तथा सट्टा लिखाने वाले भाग गये। पुलिस ने अभियुक्त पूष्पेन्द्र से पंचों के समक्ष 50/- रुपये का पंटर नोट क्रमांक 3AM998085 जिस पर पंचों और डी.व्ही. एस. चौहान के हस्ताक्षर हैं, नगदी रुपये 32650/- जिसमें 500, 100, 20, 10 एवं 5 रुपये के नोट हैं, सट्टा डायरी अंक लिखी हुई नग 02, सट्टे की कोरी डायरियाँ नग-18, एक कॉपी जिस पर सट्टे का हिसाब दिनांक 10.10.2005 से दिनांक 24.10.2005 का लिखा हुआ है जिसमें सट्टा वर्ली का नाम मिलन, कल्याण एवं सट्टा लिखा है, एक कार्बन का टुकड़ा, एक लीड-पेन तथा सट्टा अंक लिखी हुई पर्चिया नग 23 जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त को थाने पर लाकर थाने के अपराध क्रमांक 235/2005 अंतर्गत द्युत अधिनियम की धारा 4 (क) में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 की लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री एम.के. जैन, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 की धारा 4 (क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं०प्र०सं० के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है ।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त दिनांक 24.10.2005 को समय 18:15 बजे बस स्टेण्ड अंजड़ में लोगों से अंकों के आधार पर हारजीत का दांव लगाते हुए कल्याण वर्ली का सट्टा लगाते/खाते हुए पाया गया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में महेन्द्र (अ.सा.1), आरक्षक अशरद (अ.सा.2), संजय (अ.सा.3), सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. सिकरवार (अ.सा.4), आरक्षक भूपेन्द्र राठौड़ (अ.सा.5), आरक्षक अशोक चौधरी (अ.सा.6) एवं थाना प्रभारी डी.वी.एस. चौहान (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं जबकि अभियुक्त की ओर उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

7. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न के संबंध में डी.व्ही.एस. चौहान (अ.सा.7) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 24.10.2005 को वह थाना बड़वानी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था तथा पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार मुखबिर की सूचना पर हमराह फोर्स तथा पंच संजय मण्डलोई तथा महेन्द्र को साथ लेकर बस स्टेण्ड अंजड पहुँचे थे। मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभियुक्त सट्टा जुआ अपनी दुकान पर चला रहा है। साक्षीगण को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। उसके द्वारा पंचों के समक्ष एक पंटर पंचनामा तैयार किया जिसमें आरक्षक अरसद को रुपये 50/- का नोट देकर स्वयं के और पंचों के हस्ताक्षर से लेकर भेजा था। उक्त पंचनामा प्रदर्शपी 3 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरक्षक अरसद अभियुक्त की दुकान पर गया तथा वहाँ से आरक्षक ने सिर पर हाथ रखकर इशारा किया तब वे लोग अभियुक्त की दुकान पर पहुँचे और वहाँ पर दबिश दी। वहाँ से उसके द्वारा अभियुक्त से एक पंटर नोट जिसका क्रमांक 3ए.एम.998085 नगद धनराशि रुपये 32650/- जिसमें 500, 100, 50, 20, 10, और 5 के नोट थे, सट्टा अंक लिखी सट्टा डायरी, सट्टे की कोरी पर्चिया, एक कॉपी जिसमें सट्टे का हिसाब दिनांक 10.10.2005 से दिनांक 24.10.2005 तक का लिखा हुआ था तथा वर्ली सट्टा, मिलन कल्याण एसं टाईम लिखा था, एक लीड-पेन सट्टा लिखी पर्चियाँ सहित प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त की थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 2 का पंचनामा बनाया था। उसने थाना अंजड पर आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 235/05 धारा 4 क सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया था, जो प्रदर्शपी 6 है जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके स्ताक्षर हैं। उसके द्वारा थाना अंजड के रोजनामचा क्रमांक 1126 पर आमद की गई थी, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि चालान के साथ संलग्न है तथा उक्त रोजनामचा असल दिनांक 01.09.2010 को नष्ट किया जा चुका है, जिसका थाना अंजड से उसके द्वारा प्राप्त किया गया प्रमाण पत्र प्रदर्शपी 7 है।

8. साक्षी ने उसके द्वारा अभियुक्त को देने हेतु आरक्षक अरसद को दिया गया रुपये 50/- का नोट क्रमांक 3ए.एम.998085 को आर्टिकल 'ए' के रूप में पहचान करना बताया है, जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया था साथ ही नगद धनराशि रुपये 32650/- की पहचान आर्टिकल 'बी' के रूप में तथा अभियुक्त के पास से जप्त सट्टा डायरी 2 नग आर्टिकल 'सी', सट्टा डायरी कोरी 18 नग आर्टिकल 'डी', सट्टा लिखी डायरी जिसमें दिनांक 10.10.2005 से 24.10.2005 लिखा तथा जिसमें वर्ली मिलन कल्याण एवं टाईम्स लिखा था आर्टिकल 'ई' तथा लीड-पेन आर्टिकल 'एफ', कार्बन आर्टिकल 'जी', सट्टा अंक लिखी हुई 23 पर्चियों आर्टिकल 'एच' और उक्त सभी आर्टिकल पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं।

9. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह अभियुक्त को उसी दिन से जानता है उसके पहले से नहीं जानता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त की किराना दुकान हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त की पेंट के दोनों जेब से रुपये जप्त किये थे, लेकिन जप्ती पंचनाम में इसका उल्लेख नहीं किया कि रुपये पेंट की जेब से जप्त हुए थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने रुपये अभियुक्त की दुकान से जप्त किये थे, लेकिन स्पष्ट किया कि दुकान के ओटले से जप्त किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 1 पर जप्तीस्थल दुकान लिखा है, लेकिन स्पष्ट किया कि वापस आने के बाद प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर प्रदर्शपी 6 में यह स्पष्ट किया कि जप्ती दुकान के ओटले पर की गई है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि उसने अभियुक्त की दुकान के गल्ले में रखे हुए उक्त रुपये जप्त किये थे अथवा अभियुक्त की जेब से उक्त रुपये जप्त नहीं किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जप्ती पंचनाम में यह नहीं लिखा कि किस जेब से कितने रुपये जप्त किये थे तथा जप्ती किये गये नोटों में से कितने-कितने रुपये के कितने नोट थे।

10. साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त की दुकान पर तलाशी लेने के पूर्व किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि वारंट प्राप्त करने के लिए समय नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने इस प्रकरण में विवेचना नहीं की है और विवेचना अधिकारी ने इस प्रकरण में उसके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में उसके कथन लेखबद्ध भी नहीं किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्त किये गये पेन, कार्बन, डायरी, कॉपी, बाजार में सामान्यतः मिल जाते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जप्त किये गये आर्टिकल 'ई' में कही भी अभियुक्त या उसकी फर्म का नाम नहीं लिखा है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आर्टिकल 'ई' की लिखावट अभियुक्त की होने के संबंध में उसने कोई भी जाँच नहीं करवाई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि जप्ती करते समय अभियुक्त एवं साक्षियों के हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जप्त किये

गये आर्टिकल 'सी' एवं शेष आर्टिकल में भी अभियुक्त का नाम नहीं है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने आर्टिकल 'सी' पर अभियुक्त के हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि सट्टे कितने प्रकार के होते हैं उसे जानकारी है, जिनमें बाम्बे, कल्याण, वर्ली, मिलन होता है और उक्त सट्टे बॉम्बे एवं जहाँ से संचालित होते हैं वही से खुलते हैं। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि जिस दिन वह जप्ती की कार्यवाही करना बता रहा है उस दिन कौन सा सट्टा खुला था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने आरक्षक अरसद को कोई विशेष अंक सट्टा लगाने के लिए नहीं भेजा था और अभियुक्त ने सट्टा अंक लिखी हुई पर्ची अरसद को नहीं दी थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि जैसे ही अभियुक्त ने अरसद से रुपये प्राप्त किये वैसे ही अरसद ने हाथ हिलाकर उसे इशारा किया। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि अभियुक्त ने अरसद से सट्टा लिखने के लिए पैसे नहीं लिये थे अथवा वह पंटर और साक्षी महेन्द्र को अपने साथ नहीं ले गया था अथवा उनके हस्ताक्षर थाने पर करवा लिये थे। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह अंजड़ में निरीक्षक के पद पर नहीं था वह बड़वानी में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा दिनांक 24.10.2005 को बड़वानी से शाम 5 बजे रवाना हुआ था तथा बड़वानी में रोजनामचे में रवानगी एवं वापसी डाली थी जिसकी प्रति उसने पेश नहीं की है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त से कोई सट्टा उपकरण एवं सट्टा अंक लिखी पर्चियों जप्त नहीं की थी अथवा अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या प्रकरण बनाया है।

11. अरसद असा 2 का कथन है कि दिनांक 24.10.2005 को वह थाना अंजड़ में आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ था तथा उक्त दिनांक को शाम के समय श्री चौहान एवं वह हमराह फोर्स के साथ बस स्टेण्ड सट्टे की दबिश देने के लिए गये थे। बस स्टेण्ड के पास अभियुक्त के यहाँ दबिश दी थी। दबिश में थाना प्रभारी ने अभियुक्त के यहाँ उसे रुपये 50 का नोट देकर सट्टा लगाने के लिए भेजा था। उक्त नोट का पंटर पंचनामा श्री चौहान ने प्रदर्शनी 3 का तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह रुपये 50 का नोट लेकर अभियुक्त के यहाँ गया था तथा उसने सट्टा लगाया और थाना प्रभारी को सिर पर हाथ रखकर इशारा करके बताया फिर थाना प्रभारी ने आकर अभियुक्त से सट्टा पकड़ा, जिसमें सट्टे की डायरी एक कॉपी, लीड पेन कार्बन एवं एक खाली डायरी तथा एक भरी हुई डायरी पकड़ी तथा नगद रुपये 32650/- भी पकड़े थे। उसने जो पंटर का नोट अभियुक्त को दिया था वह भी जप्त किया था। मौके पर ही थाना प्रभारी ने लिखा-पढ़ी की थी। सट्टा लगाने वाले व्यक्ति भाग गये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह उन दिनों थाना अंजड़ से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अटेच था और बड़वानी से अंजड़ थाने पर शाम 5:30 बजे से 6 बजे के मध्य आ गया था। उसकी रवानगी पुलिस अधीक्षक के आदेश से डली है तथा वापसी माहरीर ने लिखी थी। उसने साक्षी महेन्द्र को थाना प्रभारी के साथ

अंजड़ थाने पर देखा था उसे जो 50 का नोट दिया था, उसका अभियुक्त की दुकान के सामने ही पंचनामा बनाया गया था वही पर उसने हस्ताक्षर किये थे। (साक्षी से पूछा गया उक्त प्रश्न बचाव पक्ष की ओर से स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आता है) साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उस समय महेन्द्र एवं संजय साथ में थे और संजय पुलिस की वाहन का चालक था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पूष्पेन्द्र की किराना दुकान है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ओटले पर था दुकान के अंदर नहीं था, लेकिन साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि ओटला कितना लंबा-चौड़ा है। साक्षी ने पैसे पूष्पेन्द्र की जेब में होना स्वीकार किया। अभियुक्त ओटले पर कैसे बैठा था, उसे ध्यान नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि वे लोग वारंट लेकर नहीं गये थे और बस स्टेण्ड में आमने-सामने कई दुकानें हैं। वह पहुँचा था तब दुकान पर कितने लोग थे उसे ध्यान नहीं है। उसने 50 रुपये पर कौन सा अंक लगाया था उसे ध्यान नहीं है। साक्षी ने सट्टे के प्रकार, कल्याण, टाईम एवं बम्बई होना बताया है। साक्षी ने यह ध्यान होने से इंकार किया कि उसने कल्याण या बम्बई का सट्टा लगाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्ती पत्रक के सभी कागज थाना प्रभारी साथ में लेकर गये थे और जप्ती संजय एवं महेन्द्र के सामने की थी। उस दिन अंजड़ में सिर्फ एक ही सट्टा पकड़ा था। (साक्षी से पूछा गया उक्त प्रश्न भी बचाव पक्ष की ओर से स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आता है) साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त पैसे किनारा दुकान के थे और थाना प्रभारी गल्ले से लेकर आये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त प्रकरण मिथ्या बनाया गया था और अभियुक्त सट्टे का व्यवसाय नहीं करता है अथवा वह पुलिस विभाग में नौकरी करता है, इसलिए मिथ्या कथन दे रहा है।

12. भूपेन्द्र राठोड़ असा 5, अशोक चौधरी असा 6 ने भी थाना प्रभारी डी.व्ही. एस. चौहान के साथ दिनांक 24.10.2005 को दबिश हेतु अंजड़ आने और अभियुक्त की दुकान पर सट्टे की सूचना प्राप्त होने और आरक्षक अरसद को 50 रुपये का पंटर्री नोट देकर अभियुक्त की दुकान पर सट्टा लगाने भेजने तथा अरसद के इशारा करने तथा अभियुक्त के आधिपत्य से सट्टे की पर्चिया तथा नगद रुपये 32650/- कागज, कार्बन, लीड पेन आदि जप्त करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। साक्षियों का यह भी कथन है कि फिर अभियुक्त को लेकर थाने आये। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में भूपेन्द्र असा 5 ने स्वीकार किया कि उसे ध्यान नहीं है कि पुलिस को उसने कथन दिये थे या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया कि वे लोग बड़वानी से वाहन से शाम लगभग 5:00 बजे निकले थे, जिसमें थाना प्रभारी श्री चौहान, रक्षित निरीक्षक चौकीकर, आरक्षक अरसद, रंजित, अवधेश आदि साथ में थे। मकान तलाशी का वारंट था या नहीं उसे नहीं पता था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पहले घटनास्थल पर उसका जाने का काम नहीं पड़ा था। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि दुकान का मालिक कौन था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह दुकान के अंदर नहीं गया ओटले पर अभियुक्त बैठा था। साक्षी ने यह

स्वीकार किया कि जो कागज जप्ती किये थे वह ओटले पर पड़े थे और रुपये की जप्ती कहा से की वह नहीं बता सकता है, क्योंकि थाना प्रभारी ने रुपये जप्त किये थे। साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त ने उसके सुपुर्द कर थाना प्रभारी ने लिखा-पढ़ी मौके पर कौन सी की थी उसे नहीं मालूम। साक्षी ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल अंजड़ बस स्टैण्ड के राजपुर रोड़ की ओर है और घटनास्थल के पास में एक गली है। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल किराना दुकान है, लेकिन उक्त दुकान कितनी लंबी चौड़ी है वह नहीं बता सकता। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि समस्त लिखा पढ़ी थाने पर हुई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि समस्त लिखा पढ़ी मौके पर हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि वह मौके पर नहीं गया था अथवा वह पुलिस विभाग में कार्य करता है इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

13. अशोक चौधरी असा 6 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना का समय शाम 6 से 6:15 के मध्य होगा और उस समय संजय चालक था जो बड़वानी से उनके साथ ही आया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त की किराना दुकान है और अभियुक्त किराना दुकान के ओटले पर बैठा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके सामने अभियुक्त की जेब से रुपये एवं चिट्ठिया अभियुक्त के हाथ से जप्त की गई थी। (साक्षी से पूछा गया उक्त प्रश्न भी बचाव पक्ष की ओर से स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आता है) साक्षी ने स्पष्ट किया कि 15-20 चिट्ठिया थी, उनमें क्या लिखा था वह नहीं बता सकता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त की दुकान पर रोजाना 30 से 40 हजार रुपये की बिक्री होती है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त की दुकान के सामने पान एवं साईकिल की दुकानें तथा गुमटिया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि थाना प्रभारी पंच लोगों को बुलाने की बातचीत कर रहे थे और पंचों को बुलाया था वे पंच कौन थे उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि थाना प्रभारी ने जिन लोगों को भीड़ से बुलाया था उनके हस्ताक्षर पंचनामें पर लिये थे और वह दूर खड़ा नहीं था, आसपास ही था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उन दिनों उसकी अंजड़ में पदस्थापना नहीं हुई थी और वह अभियुक्त को नाम से नहीं जानता है।

14. महेन्द्र असा 1 तथा संजय असा 3 अभियुक्त से उक्त सट्टा पर्ची, पंटर नोट तथा सट्टा उपकरण जप्त किये जाने के साक्षीगण हैं किन्तु उक्त दोनों ही साक्षीगणों ने अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया है। साक्षियों ने प्रदर्शपी 1 एवं 2 एवं 3 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। महेन्द्र असा 1 को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया तथा स्पष्ट किया कि उसके सामने अभियुक्त से कोई पंटर नोट, कार्बन का टुकड़ा एवं रुपये जप्त नहीं हुए थे। साक्षी ने इस सुझाव

से इंकार किया वह अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह पुलिस का वाहन चलाता है और हस्ताक्षर करते समय भी पुलिस की वाहन चलाता था। हस्ताक्षर करते समय वह अकेला था। संजय असा 3 ने भी मुख्य परीक्षण में ही यह कथन किया है कि उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि वह अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह 2-3 वर्ष पूर्व अंजड़-बड़वानी से वाहन लेकर आया था तब पुलिस ने हस्ताक्षर करवा लिये थे, कागज पर क्या लिखा था उसे पढ़कर नहीं बताया था तथा उससे बिना पढ़े हस्ताक्षर करवा लिये थे, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षियों को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया कि पुलिस ने उनसे जबरजस्ती हस्ताक्षर करवाये थे, जबकि डी.बी.एस. चौहान असा 7, अशोक चौधरी असा 6, भूपेन्द्र राठौड असा 5 तथा अरसद असा 2 ने यह स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्त से उक्त सट्टा उपकरण व धनराशि जप्त कराते समय 2 पंच साक्षियों को बुलाकर उनसे हस्ताक्षर करवाये गये थे जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है।

15. बी.एस. सिकरवार असा 4 का कथन है कि दिनांक 24.10.2005 को वह थाना अंजड़ में पदस्था था। थाने के अपराध क्रमांक 235/05 की विवेचना के दौरान साक्षी संजय एवं महेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी का स्पष्ट कथन है कि संजय ने उसे प्रदर्शपी 5 एवं महेन्द्र ने प्रदर्शपी 4 का ए से ए भाग का कथन उसे नहीं दिया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि उक्त साक्षी महेन्द्र एवं संजय ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने उनके मिथ्या कथन लेखबद्ध कर लिये थे।

16. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त की किराना दुकान है तथा पुलिस ने अभियुक्त की किराना दुकान पर आकर असत्य कार्यवाही की है तथा अभियुक्त से कोई सट्टे की धनराशि एवं सट्टा उपकरण जप्त नहीं हुए हैं। अपने समर्थन में अभियुक्त के अधिवक्ता ने **न्यायदृष्टांत नूरमोहम्मद विरुद्ध म.प्र. राज्य, एम.पी. डब्ल्यू. ए. 1984 नोट नम्बर 391** प्रस्तुत किया है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 13 के अपराध में वली, मटका का जुआ स्पष्ट रूप से साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा पुलिस अधिकारी को विशेषज्ञ के रूप में जुए का स्वरूप स्पष्ट करना चाहिए। अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपने समर्थन में **न्यायदृष्टांत कन्नु एहमद खान विरुद्ध म.प्र. राज्य 1970 एम.पी. एल.जे. नोट 103** भी

प्रस्तुत किया है तथा न्यायदृष्टांत चिरक उर्फ लखनलाल विरुद्ध म.प्र. राज्य 2009 (5) एम.पी.एच.टी. नोट 151 तथा हरिलाल विरुद्ध एम्पोरल ए.आई.आर 1937 बाम्बे पृष्ठ 385 भी अपने समर्थन में प्रस्तुत किया है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त के विरुद्ध द.प्र.स. की धारा 260 के प्रावधान के अनुसार संक्षिप्त विचारण भी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अपराध की विशिष्टियाँ विरचित की गई है। ऐसी स्थिति में द.प्र.स. की धारा 326 (3) के अनुसार साक्षियों के अभिलिखित कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि थाना प्रभारी श्री डी.व्ही.एस.चौहान थाना अंजड़ में पदस्थ नहीं थे, बल्कि बड़वानी थे और उन्होंने अंजड़ से रवाना होने की और वापसी की सूचना रोजनामचे में दर्ज करना स्वीकार किया है, लेकिन उसे न्यायालय में प्रदर्शित एवं पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में भी उक्त सम्पूर्ण कथन संदेहास्पद हो जाती है। उनका यह भी तर्क है कि जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षीगण पक्षविरोधी रहे हैं और उन्होंने अभियुक्त के आधिपत्य से कोई भी सट्टा उपकरण या सट्टा धनराशि जप्त होने से स्पष्ट इंकार किया है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त की दुकान की तलाशी लेने के पूर्व कोई तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया गया था।

17. यह सही है कि जप्ती पंचनामों के दोनों ही साक्षीगण पक्षविरोधी रहे हैं और उन्होंने अभियुक्त को पहचानने या उनके समक्ष अभियुक्त से कोई भी सट्टा धनराशि और सट्टा उपकरण जप्त होने से स्पष्ट इंकार किया है, लेकिन साक्षियों ने उक्त पंचनामों प्रदर्शनी 1, 2 एवं 3 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से उक्त दोनों ही साक्षियों को यह सुझाव नहीं दिया गया कि उन्होंने पुलिस के दबाव में हस्ताक्षर किये थे। अभियुक्त द्वारा बस स्टेण्ड अंजड़ पर सट्टा चलाये जाने की सूचना मुखबिर द्वारा प्राप्त होने के संबंध में डी.व्ही.एस. चौहान ने स्पष्ट कथन किया है जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उक्त साक्षी ने अभियुक्त के पास से उक्त सट्टा जप्त करने के लिए पुलिस विभाग के एक आरक्षक अरसद पंटर बनाकर उसे अभियुक्त की दुकान पर सट्टा लगाने के लिए भेजा था तथा इस संबंध में 50 रुपये का एक नोट देकर उस पर अपने और साक्षी संजय एवं महेन्द्र के हस्ताक्षर करके वह नोट अभियुक्त को सट्टा लगाने के बदले देने के लिए अरसद असा 2 को निर्देशित किया था तथा अरसद द्वारा अभियुक्त की दुकान पर जाकर उसे सट्टा लगाने के लिए उक्त आर्टिकल 'ए' का नोट दिये जाने के बाद अरसद के इशारा करने पर उक्त आर्टिकल 'ए' का नोट अभियुक्त के आधिपत्य से डी.व्ही.एस. चौहान असा 7 ने जप्त किया था।

18. डी.व्ही.एस. चौहान असा 7, अशोक चौधरी असा 6, भूपेन्द्र राठौड़ असा 5 तथा अरसद असा 2 से बचाव पक्ष ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा या उक्त साक्षियों को यह भी सुझाव नहीं दिया कि उक्त आर्टिकल 'ए' का नोट अभियुक्त ने आरक्षक अरसद से जो कि पंटर था, प्राप्त नहीं किया था। उक्त आर्टिकल 'ए' की नोट की पहचान भी डी.व्ही.एस. चौहान असा 7 ने न्यायालय में साक्ष्य के दौरान की है जिसका अवलोकन किये जाने से प्रमाणित होता है कि उक्त नोट जप्ती पंचनामा प्रदर्शनी 1 के अनुसार अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त किया गया है तथा डी.व्ही.एस. चौहान असा 7, अशोक चौधरी असा 6, भूपेन्द्र राठौड़ असा 5 का स्पष्ट कथन है कि जो 50 का नोट अरसद को देकर सट्टा लगाने के लिए अभियुक्त को भेजा गया था वह अभियुक्त की पेंट की जेब से जप्त किया गया था तथा सट्टा अंक लिखी हुई पर्चियाँ सट्टा के उपकरण के रूप में लीड-पेन और कार्बन पेपर भी अभियुक्त के पास से जप्त किया गया है जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। यहाँ तक कि डी.व्ही.एस. चौहान असा 7 ने सट्टे की पहचान भी कल्याण, मुम्बई, वर्ली, टाईम, मिलन के रूप में की है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायदृष्टांतों से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। जहाँ तक जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षीगण के पक्षविरोधी होने का प्रश्न है वहाँ **माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत करमजीसिंह विरुद्ध स्टेट, 2003 (5) एस.सी.सी. 291** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पुलिस कर्मियों की साक्ष्य को भी सामान्य साक्षियों की तरह ही लेना चाहिए। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारी की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है तथा पंचसाक्षीगण के पक्षविरोधी हो जाने के मात्र से भी पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि वे पुलिस कर्मचारी हैं इस संबंध में **न्यायदृष्टांत बाबुलाल विरुद्ध म.प्र. राज्य 2004 (2) जे.एल.जे. 425, नाथुसिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य, ए.आई. आर 973, सु.को. 2783, मनोज कुमार शुक्ला विरुद्ध म.प्र. राज्य 2004 (4) एम.पी.एल.जे. 179** भी उल्लेखनीय है।

19. बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह प्रथमदृष्टि में प्रतीत हो कि पुलिस अधिकारियों ने अभियुक्त के विरुद्ध दुर्भावनापूर्वक यह असत्य प्रकरण बनाया है। ऐसी स्थिति में भी पुलिस अधिकारियों की उक्त साक्ष्य को अविश्वसनीय होना नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत असम राज्य विरुद्ध मोहिम ए.आई. आर. 1987 एस.सी. 98 अवलोकन योग्य है। न्यायदृष्टांत गिरधारीलाल गुप्ता विरुद्ध डी.एन मेहता, ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 88** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जिस पुलिस अधिकारी ने तलाशी ली हो उसकी साक्ष्य की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायदृष्टांतों

के आलोक में डी.व्ही.एस.चौहान असा 7, अरसद असा 2, अशोक चौधरी असा 6, भूपेन्द्र राठौड़ असा 5 द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध की गई उक्त सट्टा उपकरणों एवं सट्टा धनराशि की जप्ती पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत होती है। यह भी प्रमाणित होता है कि अभियुक्त द्वारा आरक्षक अरसद असा 2 से लिया गया आर्टिकल 'ए' का 50 रुपये का नोट जिसे सट्टा लगाने के लिए अभियुक्त ने प्राप्त किया था। अभियुक्त के आधिपत्य से जो शेष वस्तुएँ जप्त की गई हैं उनमें आर्टिकल 'ई' में अंतिम पृष्ठ पर मिलन, कल्याण, श्रीरामजी तथा बीच के पृष्ठों में टाईम, कल्याण शब्द लिखे हैं जिन्हें भी डी.व्ही.एस. चौहान असा 7 ने सट्टे के प्रकार होना बताया है साथ ही जप्त की गई सभी वस्तुओं पर अभियुक्त के ही हस्ताक्षर हैं और उक्त हस्ताक्षरों के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

20. सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 की धारा 4 क के प्रावधान अनुसार जो कोई वर्ली, मटका अथवा खेल के किसी अन्य रूप को स्वीकार करके किसी अंकों, संख्याओं, चिन्हों, प्रतीकों अथवा किसी ऐसे अंकों संख्याओं, चित्रों, प्रतीकों और तस्वीरों के संयोजन को प्रकाशित करेगा या उनसे प्राप्त सूचना को आत्मसात करेगा वह वर्ली, मटका का अपराध करता है। यह उपधारणा अभियोजन के पक्ष में की जा सकती है जबकि **अभियुक्त द्वारा उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है।**

21. जहाँ तक अभियुक्त के विरुद्ध द.प्र.स. की धारा 260 के प्रावधान अनुसार संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाये जाने का प्रश्न है वहाँ यद्यपि इस प्रकरण में अभियुक्त पर अपराध की विशिष्टियाँ संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार विरचित की गई हैं लेकिन इस प्रकरण में अभियुक्त का विचारण संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुआ तथा साक्ष्य के सारांश का ज्ञापन लेखबद्ध नहीं करते हुए सभी साक्षियों का विस्तृत परीक्षण किया गया है तथा उक्त परीक्षण विस्तृत रूप से लेखबद्ध भी किया गया है। ऐसी स्थिति में **न्यायदृष्टांत दर्शनलाल विरुद्ध पंजाब राज्य तथा अन्य, 2012 (3) सी.सी.सी. 475 एवं रंजन सेन गुप्ता विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य, 2010 इंडियन लॉ कोलकाता, 35 तथा दिलीप कुलकर्णी विरुद्ध बहादुरमल चौधरी तथा सन 2005 (2) डी.सी.आर.382 (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय)** में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त का विचारण संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जाकर समंस प्रक्रिया के अनुसार किया गया है और ऐसी स्थिति में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर द.प्र.स. की धारा 260 के प्रावधान अनुसार संक्षिप्त रूप में अभियोग लगाये जाने के बाद भी पदउत्तरवर्ती के रूप में न्यायालय द.प्र.स. की धारा 326 (1) के अनुसार अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। जहाँ तक जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा प्रकरण में तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किये जाने

का प्रश्न है, वहाँ सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 5 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पुलिस को प्रवेश एवं तलाशी के लिए यदि किसी घर दीवारयुक्त अहाते कमरे या स्थान में प्रवेश करने के लिए वारंट की आवश्यकता हो, लेकिन जैसा कि सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 की धारा 13 में म.प्र. राज्य द्वारा किये गये संशोधन में स्पष्ट प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा जाहाँ पर की उसे कोई संदेहास्पद व्यक्ति प्रतीत हो। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से उक्त तर्क भी स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

22. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक 24.10.2005 को शाम लगभग 6:15 बजे बस स्टेण्ड अंजड़ में अंकों के आधार पर हारजीत का दाव लगाते हुए कल्याण, वर्ली का सट्टा लगाया गया तथा अभियुक्त ने अरसद असा 2 से उक्त कल्याण का सट्टा लगाने के आशय से आर्टिकल 'ए' का पंटर नोट प्राप्त किया था जो अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त भी हुआ है। अभियुक्त का उक्त कृत्य सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 की धारा 4 (क) का अपराध है जो अभियोजन प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः न्यायालय अभियुक्त पूषेन्द्र पिता रमेशचन्द्र को सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 की धारा 4 (क) के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

23. अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता को सुना गया। उनका निवेदन है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व की दोषसिद्धी नहीं है तथा अभियुक्त एक किराना व्यापारी है। अतः न्यूनतम दण्डादेश से दण्डित किया जाये।

24. यह सही है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धी अभियोजन ने प्रमाणित नहीं की है, लेकिन अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को न्यूनतम दण्डादेश से दण्डित करना उचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त पूषेन्द्र पिता रमेशचन्द्र बंसल को सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 की धारा 4 (क) के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 1000/- (अक्षरी एक हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाये। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

25. प्रकरण के लंबान काल में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है। इस संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जाए।

26. निर्णय की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क प्रदान की जाए।

27. प्रकरण में जप्तशुदा सट्टा उपकरण मुल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये तथा सट्टा धनराशि 32600/- रुपये राजसात कर राशि कोषालय में जमा की जाये तथा 50 रुपये का पंटर नोट अपील अवधि तक सुरक्षित रखा जावे उसके पश्चात् राजसात कर विधिवत कोषालय में जमा किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी